सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

**राजस्व प्रार्थना पत्र स0 16ए/2018**

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. कौशल्या पत्नि राकेश जाति जाट
2. विकास पुत्र राकेश जाति जाट
3. संदीप पुत्र राकेश जाति जाट

निवासीगण बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर

––––प्रार्थीगण

♠बनाम♠

1. मोतीसिंह पुत्र रामगोपाल दरोगा
2. कैलाशचन्द पुत्र रामगोपाल दरोगा

निवासीगण बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर

–––––अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

**<u>निर्णय</u>**

दिनांकः 30.6.2018

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट बघेरा में पेश हुई। प्रार्थीगण/अप्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता नम्बर 768 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 380 रकबा 3.43 है. भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात है। वादग्रस्त आराजीयात में आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 587 से शुरू होता है तथा अन्य खातेदार मोतीसिंह व कैलाशचन्द पुत्र रामगोपाल दरोगा की आराजी खसरा नम्बर 362 की दक्षिणी मेड से होकर प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 380 में पंहूचता है। उक्त रास्ता कदीमी है जो करीब 20 फुट चौडा है तथा इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की आराजी में जाने का कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अन्य खातेदार मोतीसिंह व कैलाशचन्द द्वारा उक्त रास्ते पर आने जाने में रूकावट पैदा करते है जिसके कारण यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाये।

हमने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। पत्रावली आज कैम्प कोर्ट बघेरा में पेश हुई। तहसीलदार केकड़ी से मौका रिपोर्ट पेश हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा नम्बर 362 की दक्षिणी मेड से होकर प्रार्थीगण की वर्षो से अपनी आराजी खसरा नम्बर 380 एवं सामलाती चाह 572 में वर्षो से आते जाते रहे है। अप्रार्थीगण ने पत्थर की डोल लगाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत में काश्त करने नही जा पा रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 380 पर जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। तहसीलदार केकड़ी ने प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नम्बर 362 में से 160 X 6 मीटर रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने के कारण प्रार्थना पत्र का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होना पाया जाता है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रेमाफेसाई केस बनता हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251ए राज. काश्तकारी अधि. का वाके ग्राम बघेरा की प्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नम्बर 380 में आने जाने हेतु रास्ता बाबत स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बघेरा के खसरा नम्बर 362 रकबा 5.26 है. में से 160 X 6 मीटर क्षेत्रफल का रास्ता हेतु वर्तमान पंजीयन दर से प्राप्त होने वाली राशि की दुगनी राशि प्रार्थीगण द्वारा जमा राजकोष या भुगतान करने वर्तमान नक्शे में रास्ते की तरमीम कर पालना रिपोर्ट मय नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.6कृ2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी